श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः—पंजी / 11 / 2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/214

प्रार्थी खेतराम पुत्र हरीराम जाति यादव निवासी चक 2के मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती मीरा देवी पत्नी हरीराम जाति यादव निवासी चक 2के मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 29.06.2004 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 31.12.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 29.06.2004 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह अमर सिंह पुत्र हरीराम एवं विनोद यादव पुत्र खेताराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री तेज कुमार अधिवक्ता ने की है।अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।
अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

19/2/21

जिला पंजीयक महोदय

19/2